

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4415] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2018/कार्तिक 11, 1940

No. 4415] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2018/KARTIKA 11, 1940

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2018

का.आ. 5622(अ).— सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि वे सभी कंपनियां जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करती हैं और जिन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वस्तुओं अथवा सेवाओं की प्राप्ति अथवा आभासी प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं हुआ है, वे निम्नलिखित को दर्शाते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को एक छमाही रिटर्न प्रस्तुत करेंगे:

- (क) बकाया भुगतान की राशि; और
- (ख) विलंब के कारण।

[फा.सं. 4/3(1)/2018- पीएंडजी/पॉलिसी] -

राम मोहन मिश्रा, अपर सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2018

S.O. 5622(E).—In exercise of powers conferred by Section 9 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, the Central Government hereby directs that all companies who get supplies of goods or services from micro and small enterprises and whose payments to micro and small enterprise suppliers exceed forty five days from the date of acceptance or the date of deemed acceptance of the goods or services as per the provisions of the Act, shall submit a half yearly return to the Ministry of Corporate Affairs stating the following:

- (a) The amount of payments due; and
- (b) The reasons of the delay.

[F.No.4/3(1)/2018-P&G/Policy] RAM MOHAN MISHRA, Addl. Secy.

6515 GI/2018